

कार्यालय – सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल)।

पत्रांक:-उ0वि0शि0प0/समन्वय-23/ 195- /2020-21
-236 विज्ञप्ति

दिनांक: 10 नवम्बर, 2020

सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रचारित एवं प्रसारित किया जाता है कि सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 502/XXIV-B-5/2020/09(05)/2019 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-5 देहरादून, दिनांक 09 नवम्बर, 2020 के द्वारा परिषदीय परीक्षा वर्ष 2021 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के परीक्षा शुल्क राजकोष में जमा करने एवं आवेदन पत्र को अग्रसारित करने की अन्तिम तिथियों को निम्नवत् परिवर्तित किया गया है। इसी क्रम में परिषदीय परीक्षा शुल्क विगत वर्ष की भौति ही निम्नानुसार लिया जायेगा।

क्र० सं०	विवरण	हाईस्कूल परीक्षा		इण्टरमीडिएट परीक्षा	
		संस्थागत	व्यक्तिगत	संस्थागत	व्यक्तिगत
1	परीक्षा शुल्क (प्रति परीक्षार्थी)	रु०-200.00	रु०-600.00	रु०-350.00	रु०-700.00
2	अंकपत्र शुल्क (प्रति परीक्षार्थी)	रु०-10.00	रु०-10.00	रु०-10.00	रु०-10.00
3	अग्रसारण शुल्क (प्रति परीक्षार्थी)	-	रु०-10.00	-	रु०-10.00
4	केवल एक विषय का शुल्क (प्रति परीक्षार्थी)	-	रु०-150.00	-	रु०-150.00
5	प्रव्रजन प्रमाण पत्र शुल्क (प्रति परीक्षार्थी)	-	-	रु०-50.00	रु०-50.00
6	विलम्ब शुल्क (प्रति परीक्षार्थी)		रु०-150.00	-	रु०-150.00
7	निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन-पत्र अग्रसारित कराने की अन्तिम तिथि	25 नवम्बर, 2020	25 नवम्बर, 2020	25 नवम्बर, 2020	25 नवम्बर, 2020
8	विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन-पत्र अग्रसारित कराने की अन्तिम तिथि	-	01 दिसम्बर, 2020		01 दिसम्बर, 2020
9	खण्ड शिक्षा अधि० के कार्यालय में आवेदन पत्र व अन्य पत्रजात जमा करने की अन्तिम तिथि	05 दिसम्बर, 2020	05 दिसम्बर, 2020	05 दिसम्बर, 2020	05 दिसम्बर, 2020
10	खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र व अन्य पत्रजात जमा करने की अन्तिम तिथि	10 दिसम्बर, 2020	10 दिसम्बर, 2020	10 दिसम्बर, 2020	10 दिसम्बर, 2020
11	मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा परिषद् कार्यालय में आवेदन पत्र व अन्य पत्रजात जमा करने की अन्तिम तिथि	15 दिसम्बर, 2020	15 दिसम्बर, 2020	15 दिसम्बर, 2020	15 दिसम्बर, 2020

भवदीय
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)।

पृ०सं०:-उ०वि०शि०प०/समन्वय-23/195-236/2020-21 दिनांक उक्तवत ।

प्रतिलिपि-उपरोक्त विज्ञप्ति की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1-निजी सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन देहरादून ।

2-सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून ।

3-अपर सचिव (माध्यमिक शिक्षा) उत्तराखण्ड शासन देहरादून ।

4-महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून ।

5-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून ।

6- निदेशक, (प्रारम्भिक शिक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून ।

7-मण्डलीय अपर निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा) कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल (नैनीताल/पौड़ी) ।

8-समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने जनपद में उक्त विज्ञप्ति को व्यापक रूप से प्रचारित एवं प्रसारित करवायें, तथा सभी शिक्षा संस्थाओं को इस आशय का निर्देश भी दें, कि व्यक्तिगत परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क राजकोष में लेखा शीर्षक 0202-शिक्षा, खेल, कला एवं सस्कृति, 01-सामान्य शिक्षा, 102-माध्यमिक शिक्षा, 02-बोर्ड परीक्षाओं का शुल्क के अन्तर्गत जमा किया जायेगा, तथा निर्धारित तिथि तक अग्रसारण अधिकारियों को परीक्षार्थी आवेदन पत्र जमा करायेगें ।

9- निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद/अल्मोड़ा केन्द्र को प्रादेशिक समाचारों के अन्तर्गत प्रसारित करने के अनुरोध सहित प्रेषित ।

10-समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड ।

11-निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड देहरादून ।

12- समाचार पत्रों के सम्मानित सम्पादको, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित, कि यह विज्ञप्ति सम्पूर्ण उत्तराखण्ड से सम्बन्धित व्यापक लोक-महत्व की सूचना है। अतः अपने लोक प्रिय समाचार पत्र में इस सूचना को उत्तराखण्ड संस्करण में प्रमुखता से जनहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

13- सूचना सम्प्रेषण अनुभाग को इस आशय से प्रेषित की परिषद् की वेबसाइट पर अपलोड करें।

14- कार्यालय प्रति ।

सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)।